<u>विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-6 का उत्तर।</u>

प्रश्न	उत्तर
6(क) क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बतायेंगे कि जिला-जौनपुर में कब से कितने दिव्यांगों को पेंशन स्वीकृत हुई थी?	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में नि:शक्तजन को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान दिये जाने के लिये ऑनलाइन योजना संचालित है। दिव्यांग भरण-पोषण योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने पर पात्र पाये जाने की स्थिति में दिव्यांग पेंशन की धनराशि रू0 1000/- प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से त्रैमासिक आधार पर प्रदान की जाती है। जनपद-जौनपुर में अद्यतन कुल 24,262 पात्र दिव्यांगजन को ई-पेमेन्ट के माध्यम से दिव्यांग पेंशन से लाभान्वित किया गया है।
(ख) उनके खाते में कब से और किस कारण दिव्यांग पेंशन नहीं आई है?	प्रश्न नहीं उठता।
(ग) उक्त दिव्यांगों को अवशेष पेंशन सहित नियमित दिव्यांग पेंशन कब तक जारी करायेगें ?	उक्तानुसार।

नरेन्द्र कश्यप
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग।